18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017 R 894-II-17

1. श्रीमती सरोज गुप्ता पत्नी स्व. श्री नाथ गुप्ता,
2. दीपक गुप्ता,
3. प्रदीप गुप्ता,
4. संजय गुप्ता,
5. पवन गुप्ता,
6. आकाश गुप्ता, समस्त पुत्रगण स्व. श्री नाथ गुप्ता, निवासीगण– सारापा बजार मुरैना (म.प्र.)

––आवेदकगण

विरूद्ध

1. सुनील उपाध्याय पुत्र श्री देवराम उपाध्याय, निवासी– रामनगर मुरैना तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.)
2. अनुविभागीय अधिकारी (नजूल) अनुविभाग मुरैना (म.प्र.)

––अनावेदकगण

श्री अंकित भार्गव द्वारा आज दि. 15·3·17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 15·3·17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

A. Bhargava 15·3·17
अंकित भार्गव (अधि०)

न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना, द्वारा प्रकरण क्रमांक 152/2016–17/ अपील में पारित आदेश पारित दिनांक 07/03/2017 के विरूद्ध म. प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, भूमि सर्वे क्रमांक 648 रकबा 2.006 हे., 668 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा एवं 590 स्थित ग्राम बड़ोखर तहसील व जिला मुरैना आबादित सिविल बंदोबस्त संवत् 1996 से आबादी दर्ज है।

... भूमि कृषि भूमि ... व्यपवर्तन/डायवर्सन ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 894–दो/2017 जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 152/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 7.3.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण कमांक निगरानी 1346–दो/2017 में दिनांक 14.9.17 को आदेश पारित किया जा चुका है। अतः इस प्रकरण को चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रकरण निर्थक हो चुका है । प्रकरण निर्थक होने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	